प्रेस नोट **12.09.2025**

दिनांक 08.09.2025 को थाना मधुबन में बरामद शव से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से लोहे की राड़ बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन के नेतृत्व में जिसमे श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा उक्त प्रकरण के बारे शीध्र अनावरण हेतु आदेशित किया गया था उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.2025 को रात 8 बजे रोज की तरह अमला पुत्र श्रीकिशुन निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन अपने खेत पर देख रेख के लिए जा रहे थे लेकिन खेत में नही पहुच पाये सुबह उनका शव बरामद हुआ इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बैरियाडीह पुल के पास से मु0अ0स0 291/25 धारा 103(1), 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण संदीप उर्फ लालू पुत्र प्रभुनाथ यादव ,राजकुमार पुत्र अमेरिका मौर्या, राजेन्द्र पुत्र रामबली हरिजन, कमलेश पुत्र किशोर यादव समस्त निवासीगण अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद खोखली लोहे की चौकोर राड़ जिसकी लंबाई 03 वलिन्द, 03 अगुल बरामद कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त् का नाम व पता-

1. संदीप उर्फ लालू पुत्र प्रभुनाथ यादव निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. राजकुमार पुत्र अमेरिका मौर्या निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. राजेन्द्र पुत्र रामबली हरिजन निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. कमलेश पुत्र किशोर यादव निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह
2. का0 पंकज विश्वकर्मा
3. का0 प्रदीप मिश्रा
4. का0 नीरज यादव
5. का0 संदीप यादव

बरामदगी-

एक अदद खोखली लोहे की चौकोर राड़ जिसकी लंबाई 03 वलिन्द, 03 अगुल बरामद।

आराधिक इतिहास-

1. संदीप उर्फ लालू पुत्र प्रभुनाथ यादव उम्र करीब 33 वर्ष निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ मु0अ0सं0 749/2020 धारा 34,323,504,506 IPC
   मु0अ0सं0 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) BNS
2. राजकुमार पुत्र अमेरिका मौर्या उम्र करीब 30 वर्ष निवासी अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ मु0अ0सं0 456/2020 धारा 323 ,506 IPC
   मु0अ0सं0 749/2020 धारा 34,323,504,506 IPC
   मु0अ0सं0 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) BNS
3. राजेन्द्र पुत्र रामबली हरिजन निवासी उम्र करीब 62 वर्ष अहिरुपुर थाना मधुबन जनपद मऊ मु0अ0सं0 749/2020 धारा 34,323,504,506 IPC
   मु0अ0सं0 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) BNS
4. कमलेश पुत्र किशोर यादव निवासी अहिरुपुर उम्र करीब 60 वर्ष थाना मधुबन जनपद मऊ
   मु0अ0सं0 300/2017 धारा 308,323,325IPC
   मु0अ0सं0 749/2020 धारा 34,323,504,506 IPC
   मु0अ0सं0 0291/2025 धारा 103(1), 351(3) BNS

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिह के नेतृत्व में दिनांक 12.09.2025 को दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दोहरीघाट रोड़बेज गेट के पास से मु0अ0स0 90/25 धारा 69, 351(2) बीएनएस में वाछित अभियुक्त संजीत पुत्र मुन्ना सोनकर निवासी कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 90/25 धारा 69/351(2) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

अभियुक्त का नाम पता -

1. संजीत सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर निवासी कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2. अप0 निरीक्षक श्री सुभाषचन्द्र याव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
3. का0 गंगाराम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 सुनील गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. का0 आनन्द कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बाढ़ आपदा से बचाव हेतु थाना दोहरीघाट पुलिस एवं एनडीआरफ की सयुक्त टीम द्वारा मॉक ड्रिल कर बाढ़ ग्रस्त इलाके में निवास करने वाले आमजन को जागरुक किया गया -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन मे आज दिनांक 12.09.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह जनपद मऊ के नेतृत्व में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र ग्राम अवराडांड में एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर बाढ़ आपदा के समय आमजन के राहत एव बचाव में पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मॉक ड्रिल की गयी जिस दौरान नदी के किनारे निवास करने वाले गांवों के संभ्रान्त लोगो को मॉक ड्रिल से जागरुक कर उन्हे उनकी सरुक्षा में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे जानकारी दी तथा क्षेत्रावासियो को उनके के प्रति उत्तर प्रदशे सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के बारे में जानकारी दी और मॉक में ड्रिल में क्षेत्रीय नौजवानो को सलम्मलित कर बाढ़ में फसी जिन्दगियों को बचाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।